(ग) क्या यह भी सच है कि जाति के आधार पर केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच करने का विचार रखती है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण की वसूली

2080. **श्री ईश दत्त यादव :**

श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिये गये धन की काफी बड़ी मात्रा को बट्टेखाते डालने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह धन वसूली योग्य नहीं है, और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में वर्षवार कितना धन बट्टेखाते डाला गया है ; और

(ख) इस धन की वसूली न कर पाने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली सांविधियों तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित तुलन पत्र एवं लाभ व हानि लेखे के फार्मेटों के अनुसार, जिनका बैंकों को पालन करना होता है, बैंक अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की रकमें, जिनके वास्ते उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई हो तथा बट्टे खाते डाली गई अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की रकमें प्रकट नहीं कर रहे हैं ।

बैंक अपनी प्राप्य रकमों की वसूली प्रतिभूतियों की उगाही एवं बिक्री, गारंटियों, की सहायता से तथा उपलब्ध बीमा कवच की उगाही के जरिए और संबंधित पार्टियों के खिलाफ सिविल मुकदमे दायर करके करते हैं । किसी भी ऋण को बटटे खाते डालने का निर्णय तभी लिया जाता है जब कानूनी अथवा बैंक के पास उपलब्ध अन्य उपाय विफल हो जाते हैं ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि जहां कहीं भी यह पाया जाता है कि कोई अग्रिम उनके कर्मचारियों की लापरवाही, अक्षमता अथवा उधारकर्ताओं के साथ शंकास्पद साठगांठ के कारण अशोध्य हो गया है, तो सम्बंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए । बैंक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनिक कार्रवाई करते हैं तथा यदि अपराध में शामिल होने की शंका होती है, तो मामले को आपराधिक जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा स्थानीय पुलिस को सौंप देते हैं ।

Reduction of Customs Duty on Drug Intermediates

2081. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has reduced customs duty on certan intermediates going into the production of bulk drugs and exemption of duty on certain drugs and finished medicines in order to givere llef to the public;

(b) whether it is also a fact that the consumers did not get any relief due to this reduction; and